निविदा शुल्क 500/-रू0

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005,फोन-0141-5115760,
फैक्स-0141-5115766,
वैबसाइटः www. rajsico.in/ webmail, E-mail-rajsico@rajsico.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

निविदा प्रारूप

कार्य का नामः-हाऊस किपिंग(साफ सफाई)

संदर्भः-आपकी निविदा दिनांक.......................

1- निगम के राजस्थली शॉरूम एवं हैण्डीक्राफ्ट माल,एम.आई.रोड,अजमेरी गेट,जयपुर की एक वर्ष की अवधि हेतु साफ सफाई के कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत है।

2- निविदा दाता/फर्म का नाम...

3- पूरा पता...

4- निविदा शुल्क की राशि रूपये 500/- नकद/रसीद संख्या.............. दिनांक............... के द्वारा जमा करादी गई है।

5- निविदा सूचना जो कि दिनांक ....द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए मैं/हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए मैं/हम पूर्णरूप से सहमत है। मेरे/हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु दरे निम्न प्रकार से है :-

साफ सफाई हेतु लेबर कम से कम 8 व्यक्ति सहित सफाई में काम आने वाले सामान औंजार एवं यंत्र आदि सभी ठेकेदार के होगे	राशि.....................प्रतिमाह राशि......................प्रतिवर्ष

राज्य सरकार का टेक्स जो भी नियमानुसार लागू हो देय होगा।

6- कार्य आदेश मिलने पर एक वर्ष का अनुबन्ध करना होगा।

7- धरोहर राशि निविदा प्रपत्र भरते समय 10 प्रतिशत बतौर नकद अथवा डी0डी0 द्वारा दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0,जयपुर के पक्ष में संलग्न करें अन्यथा निविदा निरस्त समझी जायेगी।

8- कार्यानुभव से सम्बन्धित दस्तावेज/सर्टिफिकेट संलग्न करें।

संलग्नः-निविदा शर्ते

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227267 * Fax 014-5115766
Website: www.rajsico.gov.in * e-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

राष्ट्रदूत - 10-6-15

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD

(A Government of Rajasthan Undertaking)
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 Phone: 0141-2227267 Fax: 0141-5115766
Website: www.rajsico.gov.in * e-mail: rajsico@ rajasthan.gov.in
CIN NO. U91110RJ1961SGC001118

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for the following:

1. Supply, Installation and Commissioning of CCTV.
2. Space available on Lease/Rent at Rajasthali Mall and also for Second Floor of Rajasthali Showroom Opp. Ajmeri Gate, Jaipur.
3. Space available on Lease/Rent at Raw Material Depots and Wood Seasoning Plant at Jodhpur.
4. House Keeping for Rajasthali Showroom and Rajasthali Mall, Opp. Ajmeri Gate, M.I.Road, Jaipur.
5. Purchase of Printing and Stationery Items.
6. Engagement of CA Firm

Detailed terms & conditions can be seen at our website www.rajsico.gov.in. The Tender is to be procured by depositing respective fee for each tender and deposited in the Tender Box available at RSIC, Head office, Udyog Bhawan, Jaipur on or before 1:00 P.M. on 30.6.2015. The Technical Bid will be opened on 30.6.2015 at 3:00 p.m. at RSIC, Head Office in the presence of such Tenderers who have submitted the bids and who may wish to be present.

Raj.Samwad/C/15/1244 Managing Director

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227267 * Fax 014-5115766
Website: www.rajsico.gov.in * e-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

राजस्थली व हैण्डीक्राफ्टस मॉल की सफाई व्यवस्था के अनुबन्ध की विस्तृत शर्ते

1. सफाई ठेकेदार को राजस्थली,हैण्डीक्राफ्टस माल के बेसमेन्ट से छत तक समस्त तला के सामूहिक सुविधा क्षेत्र,कोरिडोर,पोर्च,सीढिया,आगे व पीछे का खुला स्थान,मुत्रालय,शौचालय, नालियॉ, छत आदि सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई, धुलााई व पौछा करना होगा।
2. राजस्थली व हैण्डीक्राफ्टस मॉल में सफाई कार्य के अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष होगी।
3. उक्त कार्य प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक दिन में दो बार कराना होगा एवं आवश्यक होने पर अतिरिक्त सफाई व्यवस्थ करनी होगी।
4. भवन परिसर के भीतर की सडको,ड्राइव–वे, उद्यान,पार्किग स्थल,फुटपाथ आदि की सफाई भी प्रतिदिन दो बार करनी होगी।
5. ठेकेदार को सफाई कार्य हेतु कम से कम 8 कर्मचारी प्रतिदिन लगाना आवश्यक होगा। निर्धारित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उक्त दिवस हेतु अनुपस्थित कर्मचारियों की राशि काट ली जावेगी एवं इन कर्मचारियों को पूरे दिन राजस्थली, हैण्डीक्राफ्टस माल में सफाई हेतु परिसर में उपस्थित रहना होगा अन्यथा अनुपस्थित के अनुसार राशि काटली जावेगी।
6. ठेकेदार को भवन की सफाई हेतु एक कर्मचारी(सुपरवाईजर)वर्दी सहित कार्यालय दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 7.30 बजे तक भवन में उपलब्ध कराना होगा जो प्रबन्धक के निर्देशानुसार सफाई कार्य सम्पादित करायेगा।
7. भवन के समस्त तलों के दरवाजे व खिडकियों के शीशों को हर समय साफ रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. सफाई ठेकेदार को भवन की समस्त लिफ्टों की सफाई (लिफ्ट कन्ट्रोल रूम सहित) प्रतिदिन दो बार करनी होगी।
9. राजस्थली व हैण्डीक्राफ्टस माल की छत की सफाई का कार्य ठेकेदार को करना होगा तथा छत हमेशा साफ रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
10. राजस्थली,हैण्डीक्राफ्टस माल के सभी तलों पर स्थित बोर्ड्स व चार्टों की सफाई सप्ताह में दो बार करनी होगी।
11. भवन के सामूहिक सुविधा क्षेत्र में लगे समस्त बिजली/टेलीफोन की डक्टो व

प्रकाश डक्टों की सफाई माह में एक बार डिटरजेण्ट पाउडर के धोल से आवश्यक रूप से करनी होगी।

12. छत पर से पानी निकासी की नालियां साफ रखने का दायित्वच ठेकेदार का होगा।

13. भवन में विभिन्न स्थानों पर उगने वाले जंगली/अनावश्यक पौधो को उखाडने तथा मधुमक्खियों के छातों को हटाने का दायित्व सफाई ठेकेदार का होगा। उक्त कार्य प्रबन्धक के निर्देशानुसार किया जावेगा।

14. सफाई व्यवस्था का भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक बिल का प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति के अनुसार प्रमाणीकरण करने के उपरान्त किया जावेगा।

15. सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं होने पर ठेका कभी भी समाप्त किया जा सकेगाा व धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

16. सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अथवा पूर्ण न होने की दशा में प्रबन्धक,राजस्थली, हैण्डीक्राफ्टस माल अपने स्तर से सफाई करवाकर उक्त खर्चे को ठेकेदार की मासिक रूप से राशि में से कटौती कर सकेगा।

17. आवकाश के दिनों में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करनी होगी।

18. ठेकेदार को भवन के सामूहिक सुविधा क्षेत्र के समस्त टॉयलेट व लेट्रीन की सफाई प्रतिदिन दो बार आवश्यक रूप से करनी होगी व उनमें फिनाईल का पोछा करना होगा तथा नैष्थलीन आदि की गोलियां भी डालनी होगी। बास बेसिन पर साबुन की टिकिया रखनी होगी।

19. प्रतिदिन एकत्र कचरे का निस्तारण बताये गये कचरा पात्र या नगर निगम के कचरा पात्र में डालने की जिम्मेदारी सफाई ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के सफाई कर्मियों द्वारा इधर उधर कचरा डालने पर नगर निगम द्वारा चालान किये जाने की सिथति में हर्जाना ठेकेदार को भुगतना होगा।

20. ठेकेदार को ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व ठेके की कुल वार्षिक राशि की 10 प्रतिशत राशि सिक्यूरिटी के रूप में जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उक्त राशि अनुबन्ध समाप्त होने पर वापस लौटाई जा सकेगी।

21. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी व अनुबन्ध की राशि का भुगतान मासिक रूप से किया जावेगा।

22. ठेकेदार के उपरोक्त शर्तो के अनुरूप कार्य करने में असफल रहने पर व सफाई व्यवस्था असंतोषजनक रहने पर प्रबन्धक,राजस्थली,हैण्डीक्राफ्ट माल को ठेके को समाप्त करने तथा जमानत राशि जब्त करनेका अधिकार होगा।

23. ठेकेदार को प्रबन्धक,राजस्थली,हैण्डीक्राफ्टस माल द्वारा समय समय पर बताये गये कार्यो को पूर्ण करना होगा।

24. किसी भी विवाद के निपटारे हेतु अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक,राजसिको,जयपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

25. भवन में रखे हुये थूकदानों की सफाई दिन में प्रतिदिन दोबार आवश्यक रूप से करनी होगी तथा माह में एकबार इनकी मिट्टी बदलना अनिवार्य है।

26. राजस्थली, हैण्डीक्राफ्टस माल के समस्त शौचालयों में स्थापित वॉशबेसिन, शीशे,टंकी मूत्रालयों की टंकी आदि समस्त सैनेट्री सामान की सफाई प्रतिदिन में दो बार करना आवश्यक है। छत की पानी निकासी के पाईप, शौचालयों की गटर लाईन के पाईप,भवन के अन्दर स्थापित सीवर लाईन एवं मेनहोलों की सफाई ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

27. झाडू,प्लास्टिक की बाल्टी,वाईपर,पौछे आदि सफाई कार्य में काम आने वाली सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वयं के स्तर से करनी होगी।

28. सफाई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पाई जाने पर उस दिवस के लिए रूपये 1000/–हर्जाना ठेकेदार को प्रबन्धक,राजस्थली,हैण्डीक्राफ्टस माल में जमा कराना होगा अथवा उनको भुगतान की जाने वाली राशि में से काट लिया जावेगा। इस प्रकार की अधिकतम 3 चूक होने पर अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जब्त करली जावेगी।

29. निविदा स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान लघु उद्योग निगम,जयपुर के पास सुरक्षित है।

30. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान लघु उद्योग निगम,जयपुर को होगा।

31. बिना वर्दी बैज एवं प्रवेश पत्र के किसी कर्मी/श्रमिको को राजस्थली परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

32. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिको की आयु 18 वर्ष सेकम नहीं होगी।

33. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिको के`क्रम में विभिन्न श्रम कानूनो की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा।

34. कार्य के दौरान किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/संस्था की होगी। कार्य पर लगे श्रमिकेकी किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है

किसी भी ारूप में दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।।इसके लिए निगम किसी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

35. ठेकेदार/संस्था द्वारा प्रस्तुत मासिक बिल का भुगतान तब किया जावेगा जबकि पूर्व माह की ठेका श्रमिको को दी गई मजदूरी के संदर्भ में प्रावधायी निधि(ई.पी.एफ.) एवं बीमा (ई.एस.आई.) अन्य कोई भी ावर्तमान अथवा भविष्य में अधिरोपित होने पर ठेकेदार/संस्था द्वारा ही वहन किया जावेगा आदि की अनिवार्य वैद्यानिक कटौतिया तथा सेवाकर यदि लागू होता है तो सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई गई़ राशि की रसीद/चालान की प्रतियों श्रमिको की सूची सहित प्रस्तुत कर देगा।

36. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रावधायी निधि(ई.पी.एफ.) एवं बीमा (ई.एस.आई.)सेवा कर आदि में इस अनुबन्ध की अवधि में दरों में कोई वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार/संस्था को इसका भी भुगतान वहन करना होगा और निगम का कोई उत्तरदायी नहीं होगा।

यह अनुबन्ध 100/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं पाई पेपर पर लिख कर निम्न गवाह के समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये गये है जो कि सनद रहें।